

नगर निगम, वाराणसी

फोन नं० 0542-2221711

फैक्स नं० 0542-221702

वेबसाइट- nnvns.org

E.mail.mcvns1 @ gmail.com

नीलामी हेतु अति-अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्वसाधारण तथा इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि परिवहन विभाग के वाहनो/उपकरणों से निकले लोहे के स्क्रैप आदि निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी "जहाँ है जैसे है" के आधार पर अधिकतम बोली बोलने हेतु जो प्रति किग्रा० लोहे के स्क्रैप व बाजार दर के समतुल्य या उससे अधिक के आधार पर निविदा समिति के समक्ष दिनांक 12.05.2017 को पूर्वान्हः 11:00 बजे से 12:00 बजे तक बोली जायेगी। निविदा फार्म फार्म कीपर से रू० 500+वैट की धनराशि देकर अन्तिम तिथि 11.05.2017 को कार्यालयीय समय तक प्राप्त की जा सकती है, जिसकी जमानत राशि रू० 10,000.00 नगद/बैंक ड्राफ्ट केन्द्रीय लेखा विभाग में जमा करके रसीद की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करके नीलामी तिथि को विभाग में जमा करना होगा, इसका विवरण नगर निगम की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

अधिसाधी अशुभन्ता (वि०/याँ०)

प्रभारी अधिकारी (परिवहन)

संख्या- II/62/परि०/2017-18

दिनांक- 6.5.17

नगर निगम, वाराणसी  
शर्तें

1. वाहनो/उपकरणो से निकले लोहे के स्क्रेप के निष्प्रयोज्य सामग्रियों के अधिकतम बोली वाली नीलामी में प्रत्येक फर्म को अलग-अलग बोली क्रमवार बोलनी होगी जो बाजार दर के समतूल्य अथवा अधिक होने पर ही निविदा समिति द्वारा स्वीकर की जायेगी।
2. जमानत की धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में खजांची लेखा विभाग के खजाने में जमा करके रसीद प्राप्त करना होगा।
3. इस बोली नीलामी को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम, वाराणसी में निहित होगा।
4. उच्चतम नीलामी दर वाले बोलीदाता को तीन दिन के अन्दर उक्त स्क्रेप को अपने संसाधन से उठाकर कम्प्यूटरीकृत धर्मकाँटा पर वजन कराना होगा तथा प्राप्त वजन के सापेक्ष उच्चतम दर के आधार पर कुल आने वाली धनराशि समस्त कर सहित केन्द्रीय लेखा विभाग में जमा करना होगा तभी नीलामी सामग्री की सुपुर्दगी दी जायेगी।
5. सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के बाद एक सप्ताह के अन्दर सर्वोच्च निविदादाता/नीलामीदाता को स्वीकृत लोहे के स्क्रेप को अपने साधन से उठाना होगा, समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी यदि निष्प्रयोज्य सामग्री नहीं उठायी गयी तो रू0 500.00 प्रतिदिन के दर अर्थदण्ड लगाया जायेगा, जो केन्द्रीय लेखा विभाग में जमा करना होगा।
6. आमंत्रित नीलामी से सम्बन्धित निष्प्रयोज्य सामग्री का निरीक्षण कार्यालयीय समय में किया जा सकता है।
7. निविदादाता/नीलामीदाता को पैन नम्बर एवं टिन नम्बर की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करके विभाग में जमा करनी होगी।

अधिशायी अतिरिक्ता (वि०/याँ०)

प्रभारी अधिकारी (परिवहन)